न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2015RAAJu223RTA008 Sayeri n Ors Vs Chunaram etc

1. श्रीमती सायरी पत्नी हड़मानराम,
2. अचलाराम पुत्र हड़मानराम,
3. अनिल पुत्र हड़मानराम,
4. सोनी पुत्री हड़मानराम,
5. कबूदेवी पुत्री हड़मानराम,
6. किरण पुत्री हड़मानराम,
7. संतोष पुत्री हड़मानराम, नाबालिग

सभी जातियान माली, निवासीगण- सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। अपीलार्थी संख्या 3 व 7 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अपीलार्थी संख्या 1 श्रीमती सायरी पत्नी हड़मानराम, माली निवासी- सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। (राजस्थान)

----- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. चुनाराम पुत्र श्री पोकरराम,
2. माधाराम पुत्र श्री पोकरराम,
3. गोरधनराम पुत्र श्री पोकरराम,
4. बद्रीराम पुत्र श्री रामचन्द्रराम

निवासीगण- ग्राम सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बावड़ी, जिला जोधपुर।
6. श्रीमती सुगना उर्फ सुगनी पुत्री स्व. श्री पोकरराम जी पत्नी स्व. श्री अम्बाराम जी जाति माली, निवासी- ग्राम सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, हाल निवास- ग्राम कुम्हारा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
7. श्रीमती जीया उर्फ जीवली पुत्री स्व. श्री पोकररामजी पत्नी श्री दीपाराम जी निवासी ग्राम बिराई तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2004 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, राजस्व वाद संख्या 127/99 उनवान चुनाराम बनाम हड़मानराम वगैरह

--- 0 ---

उपस्थित -

- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रूधाराम चौधरी व श्री रामप्रकाश प्रजापत
- रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई
- रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
- रेस्पो. संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी
- रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांकः 31अक्टूबर 2019

अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/99 उनवान चुनाराम बनाम हड़मानराम वगैरह में दिनांक 31.05.2004 को पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 13 फरवरी 2015 को पेश की है।

मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी की सयुंक्त खोतदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम सोयला तहसील बावड़ी के खसरा संख्या 348 रकबा 19 बिस्वा, गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 349 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 353 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, एवं खसरा संख्या 520 मिन रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा का पक्षकारान् के पूर्वज पोकरराम की खोतदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी। पोकरराम का देहांत होने के पश्चात् उक्त खसरा रकबा वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया। वादी ने वाद पत्र में आगे उल्लेख किया कि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है लेकिन मौके पर आपसी सहमति से सुविधानुसार अलग-अलग काबिज है। इस कारण से कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद दर्ज रजिस्टर पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया लेकिन समयावधि पर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने के कारण एवं प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.10.2000 को जारी की गई एवं प्रस्तावित बंटवाड़ा हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को निर्देश दिया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक बावड़ी ने प्रस्तावित बंटवाड़ा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तावित बंटवाड़ा निर्णय डिक्री के अनुसार नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.09.2002 को पुनः प्रस्तावित बंटवाड़ा भेजने हेतु निर्देश दिये गये, लेकिन भू-अभिलेख निरीक्षक बावड़ी द्वारा पुनः प्रस्तावित बंटवाड़ा नहीं भेजा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व भेजे गये प्रस्तावित बंटवाड़े को आधार मानकर अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2004 को जारी कर दी। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। अपील मयाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ के रिकोर्ड को तलब किया गया। रेस्पोडेंट की बाद तामिल एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हो जाने के पश्चात् उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों व प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.12.2014 को हुई जब विचारण न्यायालय के कारण बताओं नोटिस की तामिली हेतु तामिली कुनिंदा अपीलांट के पास आया एवं तामिल करवाई। उक्त नोटिस लेकर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को बताया कि आपके विरुद्ध दिनांक 31.05.2004 को अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है। अपीलांट ने निर्णय एवं डिक्री की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जानकारी होने पर दिनांक 30.12.2014 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं दिनांक 31.12.2014 को नकल निर्णय एवं डिक्री की प्राप्त होने पर अपील जानकारी की दिनांक से अंदर म्याद अपील पेश की गयी। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर अपीलांट करवाना चाहता है, इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट के पिता/पति हड़मानराम का देहान्त दिनांक 17.01.2001 को हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के पिता/पति के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की है जो शुरुआत से ही प्रभावहीन व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित बंटवाड़े को निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध मानकर पुनः प्रस्तावित बंटवाड़ा मंगवाने का आदेश पारित किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुर्व में पेश प्रस्तावित बंटवाड़े को आधार मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी रुल्स के प्रावधानों के अनुसार संबंधित तहसीलदार को मौके पर जाकर प्रस्तावित बंटवाड़ा तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा तैयार नहीं किया गया है, हलका पटवारी सोयला एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत बावड़ी ने विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तावित बंटवाड़ा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कारण से तथाकथित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तावित बंटवाड़ा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। प्रस्तावित बंटवाड़ा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात प्रस्तावित बंटवाड़े पर दोनो पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है, लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार को प्रस्तावित बंटवाड़े पर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया इस कारण से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानो के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रस्तावित बंटवाड़े पर पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। भू-अभिलेख निरीक्षक बावड़ी द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः बंटवाड़ा प्रस्ताव भेजने का आदेश पारित किया। जिसकी पालना करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2004 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित कथन गलत, मनगढ़ंत व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी भली-भांति सभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारों को रही है क्योकि सर्वप्रथम तो निर्णय एवं डिक्री के अनुसार नामांतरकरण संख्या 1185 भरा गया था। तत्पश्चात हड़मानराम के फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 1866 व 1867 अपीलार्थीगण के आवेदन पर भरा गया था। जिसके अनुसार उक्त नामांतरकरण में हड़मानराम की जगह अपीलार्थीगण प्रतिस्थापित हुए। इससे पूर्व हलका पटवारी सोयला एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मौके पर गये एवं प्रतिवादी हड़मानराम, गोरधनराम, माधाराम, बद्रीराम व वादी चुनाराम की उपस्थिति में सभी पक्षकारों ने अंगूष्ठ निशान लगाये थे एवं बंटवाड़ा सहमति के अनुसार बनवाकर अधीनस्थ न्यायालय में जमा करवाया था, इसलिए सभी पक्षकारों को वाद के चलने की, मौके पर बंटवाड़ा करने की एवं तत्पश्चात फौतगी के नामांतरकरण के जरिये पूर्व में किये बंटवाड़े को स्वीकार किया गया, इसलिए इस पद में वर्णित तमाम कथन गलत साबित हो जाते है। अपीलार्थी का यह कहना भी मिथ्या एवं बनवाटी है कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.12.2014 को हुई। अपील म्याद बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपील के गुणावगुण पर कथन किया कि हनुमानराम के खुद की जानकारी में दावे के नोटिस जारी किये गये, नोटिस तामिल हुए। हनुमानराम ने आर्डर 09 रूल 07 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया जिसकी रिवीजन आज तक नहीं की है। अपील के पृष्ठ संख्या 2 पर स्वीकार्य तथ्य है समयावधि पर जवाब पेश नहीं किया एवं उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी जो विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, उसमें किसी तरह की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी जमीन थी, पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया।

आलौच्य अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी किये जाने के बाद फाइनल डिकी भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गयी है। इसके लिए बाकायदा न्यायालय द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। न्यायालय के आदेश की पालना में मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इतना ही नहीं, यह विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में एवं सहमति से तैयार किया गया है। मौका फर्द दिनांक 13 जनवरी 2001 एवं इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारों की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। इस विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 520 जिसका कि जिक प्राथमिक डिकी में नहीं था, उभयपक्ष की सहमति से उसको भी विभाजन प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया, जिसके संबंध में बाद में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में संशोधन कर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी की गयी, जो विधि की दृष्टि में न्यायसंगत है।

उल्लेखनीय है कि यह प्रार्थनापत्र पेश किये जाने के पूर्व प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत पेश एक प्रार्थनापत्र का दिनांक 23 अगस्त 2002 को निस्तारण करने के दौरान स्वयं वादी-पक्ष की ओर से बहस में दलील दी गयी थी "... प्रकरण में वादीगण के बयान होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है, तथा प्राथमिक डिक्री व निर्णय की पालना हो चुकी है तथा अंतिम डिक्री जारी किया जाना शेष है। इसलिए प्रतिवादी के प्रा.पत्र इस स्तर पर चलने काबिल नहीं है।" स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर प्रतिवादी-पक्ष का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेशिका दिनांक 23 अगस्त 2002 में अंकित किया गया कि " ... वर्तमान में इस प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जानी है, इस स्तर पर प्रार्थनापत्र देने का कोई औचित्य नहीं है, न ही कानूनी सम्मत है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का खारिज किया जाता हैं।"

जहॉ तक अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट वाद की कार्यवाही में उपस्थित हुए, उसके बाद अनुपस्थित रहने पर अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, तो इकतरफा कार्यवाही निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो स्वीकार किया गया, परन्तु दुबारा अनुपस्थित रहने पर पुनः इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए, दुबारा प्रार्थनापत्र बाबत इकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने पेश किया गया, जो खारिज कर दिया गया। इससे जाहिर है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अपीलाण्ट-प्रतिवादी पक्ष को अधीनस्थ न्यायालय में वाद की कार्यवाही और उसमें जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री आदि की समुचित जानकारी बखुबी रही है। इसके बावजूद सन 2002 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा सन 2004 में पारित फाइनल डिक्री की जानकारी 2014 तक नहीं होने का अपीलाण्ट का कथन स्वभाविक एवं मानने योग्य नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जानकारी की जो दिनांक 28 दिसम्बर 2014 बताई जा रही है, उसके बाद भी अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील 10 फरवरी 2015 को पेश की गयी है और इस अवधि के दिन-प्रतिदिन के विलम्ब का कोई कारण अपने प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीललाण्ट मियादबाधित होने तथा गुणागवुण पर सारविहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/X/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. श्रीमती सायरी पत्नी हड़मानराम, 2. अचलाराम पुत्र हड़मानराम, 3. अनिल पुत्र हड़मानराम, 4. सोनी पुत्री हड़मानराम, 5. कबूदेवी पुत्री हड़मानराम, 6. किरण पुत्री हड़मानराम, 7. संतोष पुत्री हड़मानराम, नाबालिग सभी जातियान माली, निवासीगण-सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। अपीलार्थी संख्या 3 व 7 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अपीलार्थी संख्या 1 श्रीमती सायरी पत्नी हड़मानराम, माली निवासी-सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। (राजस्थान)	ब ना म	1. चुनाराम पुत्र श्री पोकरराम, 2. माधाराम पुत्र श्री पोकरराम, 3. गोरधनराम पुत्र श्री पोकरराम, 4. बद्रीराम पुत्र श्री रामचन्द्रराम निवासीगण- ग्राम सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बावड़ी, जिला जोधपुर। 6. श्रीमती सुगना उर्फ सुगनी पुत्री स्व. श्री पोकरराम जी पत्नी स्व. श्री अम्बाराम जी जाति माली, निवासी- ग्राम सोयला, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, हाल निवास- ग्राम कुम्हारा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 7. श्रीमती जीया उर्फ जीवली पुत्री स्व. श्री पोकररामजी पत्नी श्री दीपाराम जी निवासी ग्राम बिराई तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2004 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर, राजस्व वाद संख्या 127/99 उनवान चुनाराम बनाम हड़मानराम वगैरह

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 31अक्तूबर 2019 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी एवं श्री रामप्रकाश चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री दूदाराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब राजकीय अधिवक्ता एवं श्री जगदीश प्रजापति अधिवक्ता रेस्पो संख्या 6 व 7 (अन्य रेस्पो. संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे) उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीललाण्ट मियादबाधित होने तथा गुणागवुण पर सारविहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 31 अक्तूबर 2019 को जारी किया गया।

31/X/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

... निरन्तर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

21/X/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर